

## भारत में LGBTQ+ अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

यह एडिटरियल 18/10/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["Law and custom: On the Supreme Court's verdict on same-sex marriage"](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक नरिणय के बारे में चर्चा की गई है जहाँ न्यायालय ने समलैंगिक व्यक्तियों के बीच ववाह को वधिक मान्यता देने से इनकार कर दिया।

### प्रलिमिस के लयि:

[अनुच्छेद 14](#), [अनुच्छेद 15](#), [अनुच्छेद 21](#), [अनुच्छेद 245](#) और [246](#), [वशिष ववाह अधनियिम \(SMA\)](#), [सवलिल यूनयिन](#), [गोद लेने का अधकार](#)

### मेन्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और उससे संबंधित मुद्दे, LGBTQ अधिकार, चुनौतियाँ, लैंगिक न्याय

[सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा समलैंगिक व्यक्तियों के ववाह को वैधानिक मान्यता देने से इनकार को देश में समलैंगिक या क्वीयर (queer) समुदाय के लयि एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में कानून की प्रगत और व्यक्तगत अधिकारों के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी कि पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ [वशिष ववाह अधनियिम](#) (Special Marriage Act- SMA)—जो दो व्यक्तियों को ववाह करने की अनुमति देता है—की लगी-तटस्थ व्याख्या करेगी ताकि समलैंगिक लोगों को भी इसके दायरे में लाया जा सके।

समय के साथ संवधान के [अनुच्छेद 21](#) के दायरे को नजिता, गरमिा और वैवाहिक पसंद के अधिकारों को दायरे में लेने के लयि वसितारति कयिा गया है, लेकनि सर्वोच्च न्यायालय ने उन ववाहों या [नागरिक संघों](#) को अनुमति देने के लयि आवश्यक अतरिकित कदम उठाने से परहेज कयिा है जो वषिमलैंगिक (heterosexual) नहीं हैं। सभी पाँच न्यायाधीशों ने ऐसा कोई कानून बनाने का नरिणय वधायिका पर छोड़ने का फैसला कयिा है।

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रमुख टपिपणयिाँ

- **कानून नरिमाण का उत्तरदायतिव वधायिका पर:** न्यायालय ने कहा कि SMA 1954 के दायरे में समलैंगिक लोगों को शामिल करने के लयि वह [वशिष ववाह अधनियिम, 1954](#) को न तो रद्द कर सकती है और न ही इसका नरिवचन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संबंध में कानून नरिमाण का उत्तरदायतिव संसद और राज्य वधिनमंडल पर है।
  - नरिणय में कहा गया है कि कसिी भी केंद्रीय कानून की अनुपस्थिति में राज्य वधिनमंडल [समलैंगिक ववाह](#) को मान्यता देने और इसे वनियिमति करने के लयि अपने कानून बना सकते हैं। [अनुच्छेद 245](#) और [246](#) के तहत भारतीय संवधान [संसद](#) और राज्य वधिनमंडल दोनों को ववाह वनियिमन लागू करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - **राज्य वभिनिन नीतगत परणामों में से कसिी का चयन कर सकता है**; वे ववाह और परवार-संबंधी सभी कानूनों को लगी-तटस्थ बना सकते हैं या वे समलैंगिक समुदाय को ववाह करने का अवसर देने के लयि लगी-तटस्थ शब्दावली में वशिष ववाह अधनियिम जैसा एक पृथक उपाय कर सकते हैं। वे वभिनिन अन्य वकिल्पों के बीच [सवलिल यूनयिन](#) के सृजन के लयि एक अधनियिम पारति कर सकते हैं या 'डोमेस्टिक पार्टनरशिप' के संबंध में वधिन का प्रस्ताव कर सकते हैं।
  - आत्म-सम्मान ववाह या 'सुयमरयिाथाई' (Suyamariyathai) ववाह की अनुमति देने के लयि तमलिनाडु ने पहले ही वर्ष 1968 में [हट्टू ववाह अधनियिम](#) में संशोधन कर दिया था।
- **'सवलिल यूनयिन' बनाने का अधकार:** पीठ की अल्पमत राय रही कि राज्य को क्वीयर यूनयिन को मान्यता देनी चाहयि, भले ही यह ववाह के रूप में न हो। कसिी यूनयिन में प्रवेश के अधकार को यौन उनमुखता के आधार पर प्रतबिधति नहीं कयिा जा सकता (यह [अनुच्छेद 15](#) का उल्लंघन होगा)। इसके अलावा, ववाह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ कई अन्य अधकार संबद्ध हैं और समलैंगिक युगल भी इन अधिकारों का उपभोग कर सकें, इसके लयि यह आवश्यक है कि राज्य ऐसे संबंधों को मान्यता प्रदान करे।
  - हालाँकि, पीठ की बहुमत राय में कहा गया कि सरकार ऐसे यूनयिन से संबद्ध वभिनिन अधिकारों को मान्यता देने के लयि बाध्य नहीं है।
- **ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के अधकार:** पीठ ने बहुमत राय से पुष्टि की कि [ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनी ढाँचे के भीतर ववाह करने का अधकार है](#)। नरिणय में इस बात पर बल दिया गया कि लैंगिक पहचान (gender identity) यौन उनमुखता (sexual orientation) से पृथक है और इस बात को रेखांकित कयिा गया कि [ट्रान्सजेंडर व्यक्तिसि-जेंडर/वषिमलैंगिक व्यक्तियों](#) के समान वषिमलैंगिक संबंधों में हो सकते हैं। इसलिये [ववाहों को ववाह कानूनों के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत कयिा जा सकता है](#)। इसके अतरिकित, नरिणय में माना गया कि 'इंटरसेक्स' व्यक्ती, जो स्वयं को पुरुष या महिला के रूप में पहचानते हैं, उन्हें भी यह अधकार प्राप्त है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के [\[2019\] में दिये गए नरिणय की पुष्टि की](#), जहाँ एक हट्टि पुरुष और एक ट्रांसजेंडर महिला के बीच वविह को एक वैध यूनयिन घोषति कयि गयि थि।

- **दत्तक ग्रहण अधिकार: पीठ के बहुमत ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) के वनियमनों को रद्द करने से इनकार कर दिया**, जहाँ समलैंगिक युगलों द्वारा बच्चा गोद लेने को नषिदध कयि गयि है। हलॉक यिह स्वीकार कयि गयि कयि ये वनियमन भेदभावपूर्ण हैं और [अनुच्छेद 14](#) क उल्लंघन करते हैं, लेकनि पीठ की बहुमत राय ने समलैंगिक युगलों के दत्तक ग्रहण अधिकार का समर्थन नहीं कयि, जहाँ यह हवलि दयि गयि कयि स्थरि घरों (stable homes) की आवश्यकता रखने वाले बच्चों के ललभ के लयि सभी वषियों पर वचिर कयि जानि आवश्यक है।
- **पात्रता/हकदारी: न्यायालय ने राशन कार्ड, संयुक्त बैंक खाते, पेंशन और ग्रेचयुटी जैसे कषेत्रों में समलैंगिक युगलों के लयि समान अधिकारों की आवश्यकता को स्वीकार कयि**। हलॉक, इस बल पर असहमतरिही कयि इन वषियों को कौन-सी शलख संबोधति करे, न्यायपलकि यि वधियकि यि कलर्यपलकि।
- **जन्म परिवार की हसि और सुरकषा के मामले में:** कई समलैंगिक व्यक्तियों को अपने जन्म परिवारों (Natal family) की ओर से हसि कल सामनल करनल पड़तल है और उनके संबंधों की समलपत्ति के लयि उन्हें कथति तौर पर बंधक बनल यि जलतल है। नरिणय में चहिनति कयि गयि कयि LGBTQ व्यक्तियों कल परिवार और सलथ ही पुलसिकरमी ऐसी हसि में प्रलथमकि अभकिरतल हते हैं तथलपुलसि वभिलग को नरिदेश दयि कयि वे समलैंगिक व्यक्तियों को अपने परिवार में लौटने के लयि वविश न करें।
  - उच्च न्यायालयों के पूर्व के कुछ आदेशों ने समलैंगिक युगलों के लवि-इन संबंधों की वैधतल को मलन्यतल दी है और उन्हें हसि से सुरकषल प्रदलन की है।
  - अंबुरी रॉय बनलम भरत संघ और रत्तिपरणल बोरल बनलम भरत संघ यलचकिओं में परिवार चुनने के अधिकार के पक्ष में तर्क दयि गयि।
- **सेक्स, जेंडर और भेदभाव के मामले में टपिपणी:** नरिणय में सरकार के इस तर्क को खलरजि कर दयि गयि कयि समलैंगिक संबंध अपरलकृतकि हैं यि भरतिय परंपरल के वरिदुध हैं। इसमें स्वीकार कयि गयि कयि समलैंगिक प्रेम लंबे समय से भरत में असततिव में रहे हैं और समलैंगिक संबंधों की संवैधलनकि वैधतल सलमलजकि स्वीकरयतल के दृषटकिण से कमजोर नहीं की जल सकतल।

## नरिणय से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **मूल अधिकारों कल उल्लंघन:** यह नरिणय LGBTQIA+ व्यक्तियों के [मूल अधिकारों](#) के वरिदुध है, जैसल कयि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के नरिणयों में चहिनति कयि गयि थल। इन अधिकारों में समलनतल, गरमि और स्वलयतततल के अधिकार शलमलि हैं, जनिहें पूर्व में मूल अधिकार मलनल गयल है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने लतल सहि बनलम उत्तर प्रदेश रलज्य (2006), सफीन जहलं बनलम अशोकन (2018), शकतल वलहनि बनलम भरत संघ (2018) और लकषमीबलई चंदरंगी बनलम कर्नलटक रलज्य (2021) जैसे वभिननि मलमलों में मलनल है कयि जीवन सलथी चुननल [अनुच्छेद 21](#) के तहत एक मूल अधिकार है।
- **आनुभवकि यथलरथ की अनदेखी करनल:** यह नरिणय LGBTQIA+ व्यक्तियों के वलसतवकि जीवन के अनुभवों को धयलन में रखने में वफिल है, जहलं प्रलय: उनकी यौन उनुमुखतल और लैंगिक पहचलन के कलरण उन्हें समलज में भेदभाव, हसि एवं कलंक कल सामनल करनल पड़तल है।
- **संवैधलनकि नैतकितल को कमजोर करनल:** आलोचकों कल तर्क है कयिह नरिणय संवैधलनकि नैतकितल के सदिधलंत को कमजोर करतल है। उनकल मलननल है कयि रलज्य को अल्पसंख्यक समूहों पर बहुसंख्यक के वचिर थोपने के बजलय अपने नलगरकियों की वविधितल एवं बहुलतल कल सममलन करनल चलहयि।
- **कलनूनी ललभों से वंचति करनल:** यह नरिणय LGBTQIA+ युगलों को वविह के सलमलजकि एवं कलनूनी ललभों (जैसे कयि वरिसत, गोद लेनल, बीमल, पेंशन आदल) से वंचति करतल है। समलैंगिक वविह के लयि कलनूनी मलन्यतल की कमी के कलरण ये युगल उन अधिकारों और वशिषलधकिारों से वंचति हो जलते हैं जो वषिमलैंगिक युगलों को सलमलन्य रूप से प्रलपत्त हैं।
- **अंतररलषट्टरीय मलनवलधकिार मलनकों के वपिरीत:** यह नरिणय अंतररलषट्टरीय मलनवलधकिार मलनकों एवं मलनदंडों के वपिरीत है। अंतररलषट्टरीय मलनक सभी व्यक्तियों के लयि वविह करने और परिवार स्थलपति करने के अधिकार को अकषुण्ण रखते हैं, भले ही उनकी यौन उनुमुखतल यल लैंगिक पहचलन कुछ भी हो। इस दृषटि से यह नरिणय इन वैश्वकि मलनदंडों के अनुरूप नहीं है।

## LGBT समुदलय के समकष अब कौन-से वकिलप उपलब्ध हैं?

- **कलनूनी वकिलप:** एक संभलवति वकिलप यह है कयि कलनूनी संघर्ष जलरी रखें। इसमें समति की रपिरट की प्रतीकषल करनल और यदनिषिकर्ष यलचकिकरतलओं के तर्कों के सलथ संरेखति हते हैं तो नए मलमले दर्ज करनल शलमलि हो सकतल है।
  - केंदर सरकार ने कहल है कयिह समलैंगिक युगलों के लयि ललभ एवं अधिकार पर वचिर करने के लयि कैबनिट सचवि की अधयकषतल में एक समति कल गठन करेगी।
- **व्यक्तगित अधिकार:** एक अन्य तरिकल यह है कयि समलैंगिक व्यक्तल भेदभाव को चुनौती दें और वविह से जुड़े वशिषिट अधिकारों (जैसे संयुक्त बैंक खलते यल पेंशन अधिकार) के लयि अकेले संघर्ष के रलसते पर आगे बढ़ें।
- **रलजनीतकि सकरयितल:** LGBTQ+ समुदलय को समलैंगिकतल को अपने रलजनीतकि वमिर्श कल मुख्य और अभनिन वषिय बनलनल चलहयि और नरिवलचिति प्रतनिधियों के समकष अपनी मलंगों कल दबलव बढलनल चलहयि। आसन्न लोकसभल चुनलव के परदृश्य में इसकल एक उपयुक्त अवसर भी मौजूद है। इस रलजनीतकि सकरयितल में अपनी चतिओं को प्रबल रूप से प्रकट करने के लयि वभिननि LGBTQ+ समूहों के बीच एकजुटतल कल नरिमलण करनल भी शलमलि हो सकतल है।
- **वकिलप की तलललश करनल:** LGBTQ+ समुदलय को अपने अधिकारों कल वसितलर करने के लयि वैकल्पकि तरीकों की तलललश करनी चलहयि। न्यायललय नशिचय ही महत्त्वपूर्ण है, लेकनि वे ही प्रगतल सुनशिचिति करने कल एकमलतर् सलधन नहीं हैं। इसकल तलतपर्य यह है कयिसमुदलय-नरिमलण, शकिषल और जन जलगरूकतल अभयलन देश में LGBTQ+ अधिकारों कल पक्षसमर्थन करने में उल्लेखनीय भूमकि नभल सकते हैं।

## नषिकरष

- सरुवोचु नुयायालय ने वविवह के मामले में भेदभाव न करने की अपेक्षाओं के ववपिरीत जाकर समलैंगकि युगलों को वविवह के अधकिार से वंचति कर दयिा है और यह तय करने का उत्तरदायतिव वधिायकिा पर छोड़ दयिा है। हालौंकि वविवह के लयिे कानूनी आवशुयकताएँ होती हैं, इसके माधुयम से मानुयता पराप्त करने की वुयकुतगित पसंद कुछ वैधानकिे सीमाओं के साथ संवधिान दवारा संरकुषति है। सरुवोचु नुयायालय की पीठ की बहुमत राय ने समलैंगकि युगलों के लयिे दत्तक ग्रहण का भी वरिीध कयिा है, जबकि ववषिमलैंगकिे वविवह में शामिल टुरांसजेंडर वुयकुतयिों का समरुथन कयिा है।
- सभी नुयायाधीश इस बात पर सहमत रहे कि समलैंगकिे युगलों को बनिा कसीी दबाव के साथ रहने का अधकिार पराप्त है। धारुमकि और सांसुकृतकिे कारणों पर आधारति वरिीध के कारण वधिायकिा समलैंगकिे वविवह को वैध बनाने में संकुच महसूस कर सकती है। LGBTQIA+ समुदाय समलैंगकिे युगलों के अधकिारों पर एक सरकारी समतििका गठन करने के नुयायालय के आहवान को आशाजनक मान सकते हैं, हालौंकि कानूनी समानता पाने का मारुग अभी चुनौतीपूरण बना हुआ है।

अभुयास परुशन: हाल ही में सरुवोचु नुयायालय ने भारत में समलैंगकिे वविवह को कानूनी दरुजा देने से इनकार कर दयिा है। नुयायालय के इस नरुणय से संबद्ध मुद्दों और LGBT समुदाय के लयिे अब उपलब्ध वकिलुपों के बारे में चरुचा कीजयिे।

## UPSC सविलि सेवा परीकुषा, वगित वरुष परुशन

**??????:**

परुशन. भारतीय संवधिान का कौन-सा अनुकुषेद अपनी पसंद के वुयकुतसे वविवह करने के अधकिार की रकुषा करता है? (2019)

- अनुकुषेद 19
- अनुकुषेद 21
- अनुकुषेद 25
- अनुकुषेद 29

उत्तर: (b)

**??????:**

परुशन. परासंगकिे संवैधानकिे परावधानों और नरुणय वधिायिों की मदद से लैंगकिे नुयाय के संवैधानकिे परपिरेकुषुय की वुयाखुया कीजयिे (2023)